

उत्तरांचल शासन  
न्याय विभाग  
संख्या: 14-एक(5)/न्याय अनुभाग/2003  
दैहरानुन: दिनांक: २१ जुलाई, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 11(2) के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा-9 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के पाण्पर्य से उत्तरांचल राज्य के प्रत्येक जनपद में निमानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन बिधे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रत्येक जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

1- जिला न्यायाधीश	अध्यक्ष
2- जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
3- यथारूपता जिला पुलिस अधीक्षक या बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सदस्य
5- जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी)	सदस्य
6- जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)	सदस्य
7- जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)	सदस्य

आज्ञा से,  
( बी०५ लाल )  
सचिव ।

संख्या: 14-एक(5)(1)/न्याय अनुभाग/2003, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूडकी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने कष्ट करें और अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को भी भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( यू०सी० ध्यानी )  
अपर सचिव ।

संख्या: 14-एक(5)(2)/न्याय अनुभाग/2003, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिक्षयक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 2- सदस्य सचिव, राज्य विधिक रोका प्राधिकरण, उत्तरांचल, नैनीताल ।
- 3- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
- 4- वारिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 5- नियुक्ति अनुभाग/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,  
( यू०सी० ध्यानी )  
अपर सचिव ।